कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद–देवरिया

पत्रांक 799 /2015न0पा0परि0(2015–16)न0स0वि0यो0 दिनांक : 29.04.2015

अल्पकालिक निविदा–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या– आर आरएफ.107/नौ–9–2014–22आर.एफ./15 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ, दिनांक– 24.02.2015 द्वारा नया सवेरा विकास योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित निर्माण कार्यों को कराने हेतु दिनांक– **12.05.2015** को अपराहन 3.00 बजे तक मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी कार्यालय में रखी निविदा पेटिका में डाली जायेगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन सायं 4.00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय, में सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिशद गौरा बरहज कार्यालय एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया के कार्यालय से निर्धारित भुाल्क जमा कर दिनांक– **08.05.2015** को सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि नगद जमा धनराशि की रसीद या एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/के0वी0पी0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिशद गौरा बरहज के पदनाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि की छाया–प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व भार्तों की जानकारी कार्यालय दिवस एवं समय के अन्दर कार्यालय नगरपालिका परिशद गौरा बरहज से प्राप्त की जा सकती है। निर्माण कार्यो के निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिशद गौरा बरहज के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को ही विक्रय की जायेगी।

अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा की किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दें। ठेका स्वीकृति के पश्चात आवश्यक स्आम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। सूचना बेबसाईट www.deoria.nic.in पर उपलब्ध होगा।

कार्य का विवरण

कम सं0	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	धरोहर धनराशि	स्टेशनरी, निविदा मूल्य व ट्रेड टैक्स	कार्य समाप्ति की तिथि
1	नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में कार्यालय भवन का नव निर्माण कार्य	31872000.00	637500.00	2340.00	31.01.2016
2	नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में अधिकारी/कर्मचारी आवास का नव निर्माण कार्य	18698000.00	374000.00	2340.00	31.01.2016
3	नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में पालिका कार्यालय के सामने दो मंजिला भाापिंग कम्पलेक्स का नव निर्माण कार्य	16357000.00	327500.00	2340.00	31.01.2016

नियम व शर्ते–

1. निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र एवं वैट पंजियन प्रमाण–पत्र तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया–प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निर्माण कार्यो में निविदादाता को अपनी निविदा के साथ 2% की दर से निर्धारित जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राश्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 आदि को निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिये अलग–अलग जमानत हेतु कि0वि0प0/एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0आर0/पी0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा। ठेकेदार/फर्म के बिल से भोश 8% जमानत धनराशि रोक कर भुगतान की जायेगी।
3. निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक सप्ताह कें अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
4. ठेकेदार को निर्माण स्थल पर अपने निर्माण सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।
5. ठेकेदार को निर्माण कार्य का कार्यादेश दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की धनराशि नगरपालिका द्वारा जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
6. ठेकेदार को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा, निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. फर्म/ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट पालिका अवर अभियन्ता के माध्यम से प्रति माह अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने अथवा कार्य में विलम्ब होने पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विधिक

कार्यवाही जैसे ठेका निरस्तीकरण /अर्थदण्ड अरोपण की कार्यवाही की जा सकती है, इसमें फर्म/ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. निर्माण कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/ न0पा0 द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
9. जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोश जनक पाये जाने पर अन्तिम भुगतान के पश्चात् छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।
10. निविदादाता को अपनी निविदा स्पश्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी।
11. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।
12. निविदा प्रपत्र पर निविदादाताओं के स्पश्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर अंकित होना आवश्यक है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
13. किसी भी ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी जायेगी।
14. निविदा पत्र पर कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
15. निविदा स्वीकृति के पश्चात् जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
16. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा दर प्रतिशत में देना अनिवार्य होगा।
17. सम्बन्धित निविदा मोहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. भुगतान भाासकीय अनुदान की भार्तों तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।
19. निविदा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के नाम भीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि समय पर निविदा पेटिका में डालना होगा, लिफाफे पर प्रेशक का नाम, पता इत्यादि स्पश्ट लिखा अनिवार्य है।
20. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात ठेकेदार/फर्म के विरूद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों व संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपका ठेका/अनुबंध निरस्त कर दें। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी/आपके द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपके विरूद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज करायें।
21. यह कि टी–6, स्वघोशणा भापथ–पत्र रू0 100/–(एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा। जिसे निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(राधेश्याम)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

(अजीत जायसवाल)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

पत्रांक 799 /2015 न0पा0परि0(2015–16)न0स0वि0यो0 तद्दिनाकिंत।

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. कार्यालय नगरपालिका परिशद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र ''राश्ट्रीय सहारा एवं हिन्दुस्तान '' को इस आशय से प्रेशित है कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कर्यालय मे भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन0आई0सी0 कार्यालय, देवरिया।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद–देवरिया

पत्रांक 797 /2015 न0पा0परि0 (2015–16) दिनांक : 29.04.2015

अल्पकालिक निविदा–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से नगरपालिका परिषद गौरा बरहज सामान्तर्गत विभिन्न वार्डों में समुचित जलापूर्ति हेतु **2200 मीटर** पाईप लाईन विस्तार (मजदूरों/पलम्बर द्वारा कराने, रोड/सड़क कटिंग, खुदाई, भराई एवं रोड/सड़क रिपेयर का कार्य,) कार्य हेतु दिनांक– **12.05.2015** को अपराहन 3.00 बजे तक मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी कार्यालय में रखी निविदा पेटिका में डाली जायेगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन सायं 4.00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय, में सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। विद्युत कार्यों से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज कार्यालय एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक–**08.05.2015** को सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि नगद जमा धनराशि की रसीद या एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/के0वी0पी0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिशद गौरा बरहज के पदनाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि की छाया–प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस एवं समय के अन्दर कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज से प्राप्त की जा सकती है। जलकल पाईप लाईन विस्तार कार्य के निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को ही विक्रय की जायेगी।

अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा की किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दें। ठेका स्वीकृति के पश्चात आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। सूचना बेबसाईट **www.deoria.nic.in** पर उपलब्ध होगा।

कार्य का विवरण

कम सं0	कार्य का नाम	लम्बाई	आगणन की धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	अयोध्या जायसवाल के मकान से स्व0 जगदीश जायसवाल के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य,वार्डसं0– 16,	100 मीटर	1271000.00	127100.00	1200.00	31.07.2015
2	स्व0 जगदीश जायसवाल के मकान से राधे चौहान के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 16,	45 मीटर				
3	राजकुमार सोनकर के मकान से हनुमान मन्दिर कुटीघाट तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 16,	375 मीटर				
4	तेजु राजभर के मकान से जयराम यादव के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 16,	55 मीटर				
5	प्रेमचन्द चौरसिया के मकान से सुरेन्द्र साहनी के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 16,	120 मीटर				
6	गुलाबचन्द सोनकर के मकान से प्रेमचन्द चौरसिया के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 16,	50 मीटर				
7	सम्मपूर्णानन्द के मकान से डा0 नियोगी के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 16,	100 मीटर				
8	जगदीश के मकान से त्रिलोकी जायसवाल के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 16,	90 मीटर				
9	गनेश जायसवाल के मकान से आलोक केसरी के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 16,	85 मीटर				
10	विनोद जायसवाल के मकान से ओम प्रकाश जायसवाल के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 16,	45 मीटर				
11	दिनेश भार्मा के मकान से शिवपूजन के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 16,	105 मीटर				
12	मुख्य मार्ग बाबूराम गोंड़ से रियाजुदीन के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 17,	120 मीटर				
13	मुख्य मार्ग मानिकचन्द गुप्ता के मकान से बैकुण्ठ सिंह के मकान होते हुए उमा यादव. के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 17,	160 मीटर				
14	उमाशंकर मिश्र के मकान से अवधेश तिवारी के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 17,	140 मीटर				
15	रेगन सोनार के मकान से अनिल पाण्डेय के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 17,	80 मीटर				
16	कन्नीलाल चौहान के मकान से प्रहलाद चौहान के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 24,	55 मीटर				
17	रामऔतार चौहान के मकान से दुर्गा जायसवाल के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 24,	55 मीटर				
18	ओम प्रकाश जायसवाल के मकान से महेश कसौधन के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 24,	55 मीटर				

19	संतोशी माता मन्दिर से लालू जायसवाल के मकान होते हुए भांकर भुज तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 24,	160 मीटर				
20	श्री राम वर्मा के मकान से बड़ी मस्जिद तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 24,	100 मीटर				
21	शिव मन्दिर से पवन मद्धेशिया के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 24,	50 मीटर				
22	शिव मन्दिर से संतोश केडिया के मकान तक पाईप लाईन विस्तार कार्य, वार्ड सं0– 24	55 मीटर				

नोटः– स्थल पर जलकल पाईप, सॉकिट, एल्बो, ज्वाइन्टर, टी, सुलेशन आदि सामग्री की आपूर्ति नगरपालिका द्वारा करायी जायेगी।

नियम व शर्ते–

1. निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र एवं वैट पंजियन प्रमाण–पत्र तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया–प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निर्माण कार्यो में निविदादाता को अपनी निविदा के साथ 10% की दर से निर्धारित जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राश्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 आदि को निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिये अलग–अलग जमानत हेतु कि0वि0प0/एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0आर0/पी0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा। जो कार्य समाप्ति के छः माह पश्चात कार्य संतोशजनक होने की स्थिति में पालिका द्वारा अवमुक्त की जायेगी।
3. निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक सप्ताह कें अन्दर ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
4. ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्य का कार्यादेश दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार/फर्म द्वारा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
5. ठेकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा, जलकल पाईप लाईन विस्तार कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
6. जलकल पाईप लाईन विस्तार कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/ न0पा0 द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
7. जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोश जनक पाये जाने पर अन्तिम भुगतान के पश्चात् छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।
8. निविदादाता को अपनी निविदा स्पश्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी
9. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।
10. निविदा प्रपत्र पर निविदादाताओं के स्पश्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर अंकित होना आवश्यक है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
11. किसी भी ठेकेदार/फर्म अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी जायेगी।
12. निविदा पत्र पर कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
13. निविदा स्वीकृति के पश्चात् जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
14. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा दर प्रतिशत में देना अनिवार्य होगा।
15. सम्बन्धित निविदा मोहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. भुगतान भाासकीय अनुदान की भार्तों तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।
17. निविदा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के नाम भीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि समय पर निविदा पेटिका में डालना होगा, लिफाफे पर प्रेशक का नाम, पता इत्यादि स्पश्ट लिखा अनिवार्य है।
18. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात ठेकेदार/फर्म के विरूद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों व संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है, तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपका ठेका/अनुबंध निरस्त कर दें। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी/आपके द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपके विरूद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज करायें।
19. यह कि टी–6, स्वघोशणा भापथ–पत्र रू0 100/–(एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा। जिसे निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(राधेश्याम)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

(अजीत जायसवाल)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

पत्रांक /2015 न0पा0परि0 (2015–16) तद्दिनांकित।

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. कार्यालय नगरपालिका परिशद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र ''राश्ट्रीय सहारा'' एवं ''स्वतन्त्र चेतना'' को इस आशय से प्रेशित कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कर्यालय मे भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन0आई0सी0 कार्यालय, देवरिया।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया